कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला–रायपुर (छ.ग.)

–: आदेश :–

क्रमांक / 69 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020 रायपुर, दिनांक 01 / 08 / 2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम, बीरगांव अंतर्गत **वार्ड क्रमांक 11, रावाभाठा (थाना खमतराई)** में 01 नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाता है तथा कन्टेनमेंट जोन की परिसीमाए निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

1.	**पूर्व में**	किशन ध्रुव का घर
2.	**पश्चिम में**	देव कुमार वर्मा का घर
3.	**उत्तर में**	राजेन्द्र विश्वकर्मा का घर
4.	**दक्षिण में**	गजेन्द्र बेन्द्रे का घर

A. कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :–

1. उपरोक्त कन्टेंनमेंट जोन में प्रवेश / निकास हेतु केवल 01 द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिस्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी /आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेगें।
2. उपरोक्त कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें।
3. प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जावेगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति Incident Commander द्वारा दी जावेगी।
4. कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
5. मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन / मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर Incident Commander को सूचित किया जावे।
6. आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेंनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेंनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे।
7. कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
8. जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जावें।

B. कन्टेनमेंट जोन में कार्यवाही हेतु निम्नानुसार दायित्व सौपा जाता है :–

1.	कन्टेंनमेंट जोन में प्रवेश/निकास हेतु केवल 01 द्वार की व्यवस्था हेतु बेरिकेंटिंग	–	श्री एस.एस.चहल अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, विधानसभा संभाग, रायपुर (मो.नं. 99939 77066)
2.	लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार बैरिकेडिंग हेतु बांस–बल्ली की आपूर्ति	–	श्री बी.एस.ठाकुर वनमंडलाधिकारी, रायपुर वनमंडल, रायपुर (मो.नं. 94242 38769)
3.	कन्टेनमेंट जोन में सेनेटाईजेशन तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था	–	श्री श्रीकांत वर्मा, आयुक्त, नगर पालिक निगम बीरगांव (मो.नं. 94790 59150)
4.	घरों का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी. अनुसार दवा, मास्क, पी.पी.ई. इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन	–	श्रीमती मीरा बघेल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर (मो.नं. 9425516797)
5.	उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सहित अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु Incident Commander	–	श्री प्रणव सिंह, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रायपुर (मो.न. 9425202181)
6.	भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी गाईड लाईन अनुसार कन्टेंनमेंट जोन में लॉकडाउन का कडाई से पालन सुनिश्चत कराने हेतु	–	श्री अभिषेक महेश्वरी नगर पुलिस अधीक्षक उरला, रायपुर (मो.नं. 94791 91013)

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर
एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ. क्रमांक / 69 /अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020 रायपुर, दिनांक 01/08/2020

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, रायपुर रेल्वे की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. ....भारत सरकार के जिला रायपुर अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
11. श्री प्रणव सिंह, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रायपुर Incident Commander को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. श्रीमती मीरा बघेल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. श्री एस.एस.चहल, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, विधानसभा संभाग, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. श्री श्रीकांत वर्मा, आयुक्त, नगर पालिक निगम, बीरगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. थाना प्रभारी, थाना खमतराई, रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
16. सर्व संबंधित.................................... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अपर कलेक्टर

एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,

रायपुर